पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता **प्रदान करने हेतु** प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) को मंज़ूरी दे दी है।

- **उद्देश्य: यह** राष्ट्रीय शिक्षा नीति **(National Education Policy- NEP) 2020** के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को **संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है।**
- **पात्रता मानदंड: इस योजना में** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क **(National Institutional Ranking Framework- NIRF)** के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन -विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं। NIRF रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institution- HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।
- **लाभार्थी:** इससे 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकते हैं तथा सूची को नवीनतम NIRF रैंकिंग के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है।
- **प्रक्रिया:** उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिये शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान हेतु आवेदन करने हेतु **"पीएम-विद्यालक्ष्मी" पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसका भुगतान** ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी **(Central Bank Digital Currency- CBDC)** वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
- **मौजूदा योजनाओं का पूरक: यह योजना** मौजूदा **पीएम-उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-Uchchatar Shiksha Protsahan- PM-USP) योजना के तहत** दो घटकों, **शिक्षा ऋण के लिये ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund for Education Loans- CGFSEL)** और **केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (Central Sector Interest Subsidy- CSIS) का पूरक है।**
- PM-USP, CSIS तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले 4.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

//

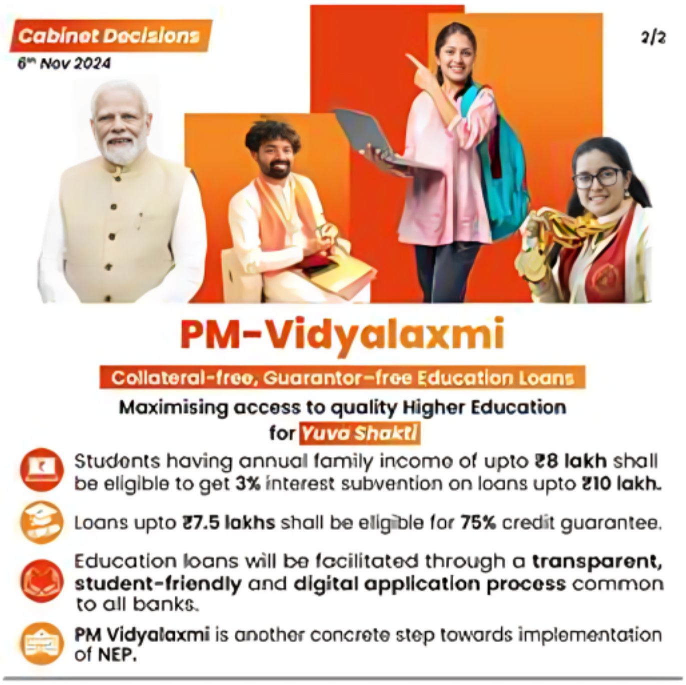

और पढ़ें: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-vidyalaxmi-scheme